

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठारसीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 43 सन 2021

अनयान :-

1. साबरा पुत्री करीमबक्स पत्नी नेक मोहम्मद जाति कुम्हार मुसलमान निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136

भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपरिथत :- श्री मांगीलाल देहडु अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय दिनांक :-

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 12/12 की कुल 3.6550 हैब भूमि प्रार्थी का खातेदार काश्तकार है।

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण बानो पुत्री करीमबक्स दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी का सही नाम साबरा पुत्री करीमबक्स है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है प्रार्थी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

प्रार्थी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड परिवार राशन कार्ड सभी में प्रार्थी का नाम साबरा पुत्री करीमबक्स दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड वाद भूमि में प्रार्थी का नाम संशोधन करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया पेरोकार राज ने निवेदन किया गया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात साक्ष्य सबुतो एवं मजमे आम एवं सरपंच की तस्दीक के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 12/12 की कुल 3.6550 हैब भूमि का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है।


जिसमें प्रार्थी का नाम बानो पुत्री करीमबक्स दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि उसका सही नाम साबरा पत्नी करीमबक्स है यही नाम अन्य दस्तावेजात में भी दर्ज है प्रशासन गांव के संग अभियान के दौरान सरपंच ग्राम पंचायत एवं मजमें आम के द्वारा भी प्रार्थीया के नाम की नोहर तस्दीक की गई है।

2
उपखण्ड अधिकारी

प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड सभी में प्रार्थी का नाम साबरा पत्नी करीमबक्स दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये वादी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है नाम संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नहीं है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 12/12 की कुल 3.6550 हैक्ठु भूमि में प्रार्थी का नाम बानो पुत्री करीमबक्स दर्ज के स्थान पर साबरा उर्फ बानों पुत्री करीमबक्स पत्नी नेकमोहम्मद संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जावता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 23.11.2021 को प्रशासन गांव कें संग अभियान वर्ष - 2021 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)
प्रशासन गांव के रॉर अभियान-2021
कैम्प कोर्ट मन्दरपुरा

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नोहर

क्रमांक : राजस्व/रीडर/2020/570

दिनांक :- 23-11-21

तहसीलदार राजस्व
नोहर ।

विषय :- प्रकरण संख्या 43/2020 अनवानी सावरा बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बन्ध में।

प्रसंग :- अनवान :-

1. सावरा पुत्री करीमबक्स पत्नी नेक मोहम्मद जाति कुम्हार
मुसलमान निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी


बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला
हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136
भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 12/12 की कुल 3.6550 हैक्ठु भूमि में प्रार्थी का नाम बानो पुत्री करीमबक्स दर्ज के स्थान पर सावरा उर्फ बानों पुत्री करीमबक्स पत्नी नेकमोहम्मद संशोधन किये जाने आदेश पारित किये गये है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान-2021
कैम्प कोर्ट मन्दरपुरा